



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052021-226972
CG-DL-E-11052021-226972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1716]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2021/वैशाख 21, 1943

No. 1716]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2021/VAISAKHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2021

का.आ.1843 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पश्चिम त्रिपुरा को काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ त्रिपुरा राज्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है।

[अधिसूचना सं. 61/2021/फा.सं. 285/04/2019-आइटी(अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त(ओएसडी)(अन्वेषण),सीबीडीटी